कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–डिण्डौरी(म.प्र.)

Email: deo.dindori@mpexcise.org * * * Phone (Office) 07644-234721

नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों का अन्य पात्र आवेदकों से लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित कर निष्पादन किये जाने संबंधी,

विज्ञप्ति

डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2017

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 कैम्प भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2017 में उल्लेखित की गई प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन **नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित** डिण्डौरी जिले की 01 देशी एवं 04 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिये अर्थात 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर इच्छुक आवेदको से **लॉटरी आवेदन पत्र** प्राप्त कर निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं इच्छुक आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए समग्र में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत के समतुल्य अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसी समस्त आवेदित मदिरा दुकान/एकल समूहों पर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निष्पादन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में **दिनांक 09.02.2017** को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया जावेगा ।

राजस्व हित में वर्ष 2016–17 में संचालित मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र एवं इच्छुक आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिले के समस्त मदिरा दुकान/एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई–टेण्डर आमंत्रित कर किया जावेगा।

इच्छुक आवेदक हेतु लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरे हुये लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने तथा प्राप्त आवेदनों को खोलकर, निष्पादन की कार्यवाही किये जाने की तिथि एवं समय निम्नानुसार रहेगाः–

लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	दिनांक 01 फरवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे से 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक।
लॉटरी आवेदन–पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	जिला आबकारी कार्यालय डिण्डौरी में दिनांक 01 फरवरी 2017 के प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
	उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग जबलपुर में दिनांक 01 फरवरी 2017 के प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 07 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के मोतीमहल स्थित कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 के प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06 फरवरी 2017 सायंकाल 05:30 बजे तक।
नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 फरवरी को प्रातः 10.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानो/एकल समूहों पर लॉटरी आमंत्रित कर निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान/एकल समूहों का आरक्षित मूल्य, लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि एवं आवेदन पत्र का मूल्य विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	समूह का नाम	समह में सम्मिलित मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2017–18 के लिए आरक्षित मूल्य	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि का (50 प्रतिशत)	आवेदन पत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	DND F-2	1. वि.म.दु. शहपुरा	19714510	492863	10000
		2. दे.म.दु. शहपुरा	42498990	1062475	10000
	योगः–		**62213500**	**1555338**	**20000**
2	DND F-3	1. वि.म.दु. गाडासरई	37598300	939958	10000
		2. वि.म.दु. करंजिया	8902480	222562	10000
	योगः–		**46500780**	**1162520**	**20000**
3	DND F-4	1. वि.म.दु. समनापुर	40880050	1022002	10000
	जिले का योगः–		**149594330**	**3739860**	-

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के किनारे स्थापित/संचालित, प्रभावित होने वाली मदिरा दुकानों को वर्ष 2017–18 के लिये राष्टीय राजमार्ग एव राज्य राजमार्ग के आउटर ऐज से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर आपत्ति रहित स्थल पर अवस्थित/स्थापित करना अनिवार्य होगा।

निष्पादन प्रक्रिया की कार्यवाही से सबंधित नियमों विक्रय–ज्ञापन निष्पादन की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों का स्थान, धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेल पेपर्) की जानकारी, जिला आबकारी कार्यालय जिला डिण्डौरी से (अवकाश के दिनों सहित) किसी भी दिन निर्धारित समय में प्राप्त की जा सकेगी।

कलेक्टर
जिला–डिण्डौरी

पृ.क्रमांक/आब./ठेका/2016–17/122
डिण्डौरी, दिनांक 31 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यक कर विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचानालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर प्रादेशिक/स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित्।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला–डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, जिला ....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल मे चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला डिण्डौरी की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना कराये जाने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र (NIC) डिण्डौरी की ओर विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/मद्यभाण्डागार अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त.............................. जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–डिण्डौरी

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–डिण्डौरी (म.प्र.)

लाटरी आवेदन पत्र द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु सेल पेपर

प्रारुप क्रमांक–दो (ब)

क्र	मदिरा दुकान/ एकल समूह का नाम	मदिरा दुकान/ एकल समूह का क्रमांक	मदिरा दुकान अथवा एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का दुकानवार नाम तथा वर्गीकरण (देशी/ विदेशी)	मदिरा दुकान/ एकल समूह का वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य	मदिरा दुकान /एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (कॉलम नं. 5 का 5 प्रतिशत)	मदिरा दुकान/ एकल समूह की वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि (5–6)	मदिरा दुकान/ एकल समूह के वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित धरोहर राशि कॉलम नं. 5 का 5 प्रतिशत	मदिरा दुकान/ एकल समूह की वर्ष 2016–17 के प्रारंभिक 9 माह की खपत	
								देशी/ विदेशी मदिरा (प्रूफ लीटर)	बीयर (बल्क लीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शहपुरा समूह	DND F-2	1. वि.म.दु. शहपुरा	19714510	985726	18728784	985726	24219.00	37541.40
2			2. दे.म.दु. शहपुरा	42498990	2124950	40374040	2124950	55883.25	0.00
			समूह का योगः–	**62213500**	**3110676**	**59102824**	**3110676**	---	37541.40
3	गाड़ासरई समूह	DND F-3	1. वि.म.दु. गाड़ासरई	37598300	1879915	35718385	1879915	18765.00	16639.20
4			2. वि.म.दु. करंजिया	8902480	445124	8457356	445124	11245.50	12423.60
			समूह का योगः–	**46500780**	**2325039**	**44175741**	**2325039**	30010.50	29062.80
5	एकल समूह	DND F-4	1. वि.म.दु. समनापुर	**40880050**	**2044003**	**38836047**	**2044003**	27243.00	20506.20
			महायोगः–	**149594330**	**7479718**	**142114612**	**7479718**	---	---

(एम. आर. उइके)
प्र. जिला आबकारी अधिकारी
जिला–डिण्डौरी